रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 94] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 11, 1975/फाल्गुन 20, 1896
No. 94] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 11, 1975/PHALGUNA 20, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

DELIMITATION COMMISSION, INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March 1975

S.O. 132(E).—In pursuance of sub-section (1) of section 10 of the Delimitation Act, 1972 (76 of 1972) an Order made by the Delimitation Commission under section 8 of the said Act in respect of the State of West Bengal is hereby published:—

ORDER NO. 39

In pursuance of section 8 of the Delimitation Act, 1972 (76 of 1972) we hereby determine, on the basis of the latest census figures and having regard to the provisions of articles 81, 170, 330 and 332 of the Constitution, the number of seats in the House of the People to be allocated to the State of West Bengal as forty-two (42) of which eight (8) seats shall be reserved for the Scheduled Castes and two (2) seats shall be reserved for the Scheduled Tribes, and the total number of seats to be assigned to the Legislative

Assembly of the State as two hundred and ninety-four (294) of which fifty-nine (59) seats shall be reserved for the Scheduled Castes and seventeen (17) seats for the Scheduled Tribes.

J. L. KAPUR, Chairman.
TARUN KUMAR BASU, Member.
T. SWAMINATHAN, Member.

NEW DELHI
Dated: 11 *March*, 1975.

[No 282/75(2)]
By Order,
P. I. JACOB, Secy.

भारत परिसीमन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 1975

का० आ० 132 (**अ**).—परिसीमन अधिनियम, 1972 (1972 का 76) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अनुसरण में परिसीमन आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन पश्चिमी बंगाल राज्य के बारे में दिया गया आदेश एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश सं० 39

परिसीमन अधिनियम, 1972 (1972 का 76) की धारा 8 के अनुसरण में, हम, नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर तथा संविधान के अनुच्छेद 81, 170, 330 तथा 332 के उप-बन्धों को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी बंगाल राज्य को लोक सभा में आबंटित किए जाने वाले स्थानों की संख्या बयालीस (42) जिनमें से आठ (8) स्थान अनुसूचित जातियों के लिए तथा दो (2) स्थान अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित होंगे तथा इस राज्य की विधान सभा के लिए समनु-देशित किए जाने वाले स्थानों की कुल संख्या दो सौ चौरानवें (294) जिनमें से उनसठ (59) स्थान अनुसूचित जातियों के लिए और सत्रह (17) स्थान अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित होंगे, एतद्द्वारा अवधारित करते हैं।

जे० एल० कपूर, अध्यक्ष।
तरुणकुमार बसु, सदस्य।
ति० स्वामीनाथन, सदस्य।

नई दिल्ली,
तारीख 11 मार्च, 1975

[सं० 282/75 (2)]
आदेश से,
पी० आई० जेकब, सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975